बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–................................

डॉ० चन्दा, सहायक प्राध्यापक (संविदा) स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं०–2/2009 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०–1040(2) दिनांक–16.09.2011 द्वारा डॉ० चन्दा को दरभंगा जिले में पदस्थापित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–03.11.2011 को प्रभार ग्रहण किया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–323(17) दिनांक–17.05.2019 द्वारा संविदा के आधार पर सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद पर डी०एम०सी०एच०, दरभगा में पदस्थापित किया गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा दिनांक–20.05.2019 को प्रभार ग्रहण किया गया। उनकी पुत्री अदया झा, उम्र–17 वर्ष को पॉच चरणों के ऑपरेशन से गुजरना पडा है। वे अपनी पुत्री के अस्वस्थता के कारण दिनांक–10.11.2022 से कर्त्तव्य पर अनुपस्थित है। डॉ० चन्दा द्वारा सस्थान के प्राचार्य के समक्ष अपनी पुत्री के अस्वस्थता को दर्शाते हुए दिनांक–10.11.2022 से 30.11.2022 तक आकस्मिक अवकाश का अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, डी०एम०सी०एच०, दरभंगा के पत्रांक–993 दिनांक–08.11.2022 द्वारा अग्रसारित किया गया है।

2. विभागीय आदेश सं०–386(17) दिनाक–07.05.2024 द्वारा डॉ० चन्दा को एक वर्ष के लिए सविदा अवधि विस्तारित किया गया। डॉ० चन्दा द्वारा दिनांक–08.11.2024 को पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

3. डॉ० चन्दा द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० चन्दा का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. प्राचार्य/अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० चन्दा को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करायी जाय। डॉ० चन्दा का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. डॉ० चन्दा, सहायक प्राध्यापक (संविदा) स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 58(9)/ पटना, दिनांकः– 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/सिविल सर्जन, दरभंगा/ प्राचार्य/अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० चन्दा के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

14/01/2025

प्रतिलिपिः– डॉ० चन्दा, सहायक प्राध्यापक (संविदा) स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/11/2025

सरकार के अवर सचिव।